न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/128

मुकदमा नम्बर 47/2024 दर्ज दिनांक– 01.04.2024

योगेश सैनी पुत्र छैलाराम जाति माली निवासी नवोडी, टोडपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 01.04.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम टोडपुरा के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता सं. 133 के खसरा नं. 629, 630, 631, 632 कुल किता 04 के राजस्व रिकार्ड में केदार पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12, बीरबल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12, मनोहरलाल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12 , मांगूराम पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12 दर्ज है के स्थान पर दुरूस्त करते हुये केदार पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, बीरबल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, मनोहरलाल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, मांगूराम पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, छैलाराम पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15 दर्ज कर दिया जावे।

आवेदक के प्रा. पत्र के साथ पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट, बयान छैलाराम,फर्द मौका रिपोर्ट, नकल जामबन्दी संवत् 2075–78, तथा नकल जामबन्दी संवत् 2055–58, छाया प्रति नामान्तकरण, छाया प्रति विक्रय पत्र 24/07/2000 की पेश की गई।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ की और से भू0अ0निरीक्षक श्री भागीरथ खाखील स्वंय उपस्थित हो कथन किया कि आवेदक द्वारा राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती चाही गई है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का तथा भू.अ.निरीक्षक कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम टोडपुरा के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता सं. 133 के खसरा नं. 629, 630, 631, 632 कुल किता 04 के राजस्व रिकार्ड में केदार पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12, बीरबल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12, मनोहरलाल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12 , मांगूराम पुत्र महादूराम हिस्सा 1/12 दर्ज है के स्थान पर दुरूस्त करते हुये केदार पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, बीरबल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, मनोहरलाल पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, मांगूराम पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15, छैलाराम पुत्र महादूराम हिस्सा 1/15 दुरूस्त व दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner